# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 23 / 2023

**प्रार्थी –**
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बाड़मेर

***बनाम***

**अप्रार्थीगण –**
1. धारूराम पुत्र श्री लालाराम जाति मेघवाल निवासी भूरे की बस्ती, पोस्ट जेसींधर, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर (मैसर्स कल्याण सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, तहसील गडरारोड़ बाड़मेर का विक्रेता)
2. श्रवण कुमार पुत्र गिरधारी राम जाति महेश्वरी निवासी गडरारोड़, बाड़मेर (मैसर्स कल्याण सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, तहसील गडरारोड़ बाड़मेर का मालिक)

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित।

## आदेश

दिनांक : 18.07.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद से संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान **मैसर्स कल्याण सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, तहसील गडरारोड बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक 27.0[illegible]23 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **उडद मोगर** ([illegible]) (1 किलोग्राम) एक [illegible]डी की रैक पर 10 पैकेट रखा हुआ पाया, को मिस[illegible]ड एवं मिलावट का [illegible] के शक

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:17:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पर नियमानुसार कुल चार पैकेट (1–1 किलोग्राम) के **उडद मोगर (पॉलीथीन सील्ड पैक) (1 किलोग्राम)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1875** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **उडद मोगर (पॉलीथीन सील्ड पैक) (1 किलोग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **उडद मोगर (पॉलीथीन सील्ड पैक) (1 किलोग्राम)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित। अप्रार्थीगण ने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा इस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी। साथ ही लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर हस्तगत प्रकरण में नरमी का रूख अपनाने और प्रकरण का निस्तारण कर माफी प्रदान करने का निवेदन किया।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **28.02.2023** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप है, जिसके तथ्य का कोई जवाब नहीं है। अप्रार्थीगण ने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा इस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी। साथ ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:17:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर हस्तगत प्रकरण में नरमी का रूख अपनाने और प्रकरण का निस्तारण कर माफी प्रदान करने का निवेदन किया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **मिथ्याछाप** पाये जाने के लिए स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 25,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:17:49 IST
Reason: SelfAttested